न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी, (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री हरि राम मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
21/2018	FSS ACT	04.07.2018	14.2.2024

1 श्री नरेश कुमार बेजारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर

–आवेदक

बनाम

1 श्री अवतार नारायण अग्रवाल पुत्र गजानन्द अग्रवाल उम्र 45 वर्ष निवासी हीरालाल की मिल गंगापुर सिटी मैसर्स अवतार मेडिकल हॉल हीरालाल की मिल गंगापुर सिटी।
2 कीर्ति कुमार लक्ष्मीदास मेहता(निदेशक) निवासी 203 सिरिन अपार्टमेन्ट,एस.जी.हाईवे प्रहलाद नगर वेजलपुर,अहमदाबाद,गुजरात M/s Corona Remedies Private Limited Corana House C- Mondeal Business Park Near Guraudwara, S.G. Highway, theltej, Ahmedabad 380059
3 नीरव कीर्ति कुमार मेहता(निदेशक) निवासी 203 सिरिन अपार्टमेन्ट,एस.जी.हाईवे प्रहलाद नगर वेजलपुर,अहमदाबाद,गुजरात M/s Corona Remedies Private Limited Corana House C- Mondeal Business Park Near Guraudwara, S.G. Highway, theltej, Ahmedabad 380059
4 अंकुर भाई के मेहता(निदेशक) निवासी 203 सिरिन अपार्टमेन्ट,एस.जी.हाईवे प्रहलाद नगर वेजलपुर,अहमदाबाद,गुजरात M/s Corona Remedies Private Limited Corana House C- Mondeal Business Park Near Guraudwara, S.G. Highway, theltej, Ahmedabad 380059
5 निरव बी सितवाल (निदेशक) निवासी ब्लॉक सी मोनार्किस,थलतेज के पास अहमदाबाद,गुजरात M/s Corona Remedies Private Limited Corana House C-Mondeal Business Park Near Guraudwara, S.G. Highway, theltej, Ahmedabad 380059
6 M/s corona Remedies Private Limited Corona House C- mondeal Business Park Near Gurudwara, S.G. Highway, Theltej, Ahmedabad 380059 (निर्माता फर्म)

–अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांक 14.2.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नरेश कुमार बेजारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) न्याय निर्णयन आवेदन पेश किया गया कि आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 16.9.2016 को लगभग 01:30 पीएम पर मैसर्स अवतार मेडीकल हॉल हीरालाल की मिल गंगापुर सिटी पर पहुंचा वहा पर अवतार नारायण पुत्र गजानन्द अग्रवाल फर्म मालिक की हैसियत से उपस्थित था, को मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया एवं मेरे द्वारा विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन/खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रति मांगी

जिला कलेक्टर एवं

विक्रेता द्वारा मौके पर नही होना बताया, तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति मे दुकान के परिसर का निरीक्षण किया विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ Nutritional Food Supplement (B-29) 200 M.L. कि कुल 18 बोतले दुकान की रैक में रखे हुये थे के मानक स्तर का शक होने पर मेरे द्वारा विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन/खाद्य अनुज्ञा पत्र की प्रति मांगी विक्रेता द्वारा खाद्य रजिस्ट्रेशन की प्रति मौके पर प्रस्तुत की। विक्रेता की उपस्थिति में नमूना वास्ते जांच लेने की सूचना फार्म नं0–5 अ की प्रति स्वतन्त्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर पावती रसीद ली जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ Nutritional Food Supplement (B-29) 200 M.L. की 08 बोतले वास्ते जांच नमूना हेतु क्रय कर राशि 440 रूपये नकदी चुका कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है, उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये Nutritional Food Supplement (B-29) 200 M.L. की 08 बोतलों को मूल ही लेकर चार भागों में बराबर–बराबर बांट कर चार नमूना भाग कर मैरे द्वारा चार लेवल तैयार किये गये जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेट कर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक एच–1012 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपका कर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म संख्या 06 की प्रति के आउटर कवर में सील बंद कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म नम्बर 06 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्र वाहक मोहम्मद असलम वार्ड बॉय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा करा कर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई जो कि आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बंद नमूना भाग मय फार्म संख्या 06 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बंद कर तथा नमूना का चौथा भाग मय फार्म नम्बर 06 की प्रति के डी ओ (मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर) को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/71 दिनांक 11.01.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य प्रयोगशाला कोटा के जांच रिपोर्ट संख्या 191/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2016/442 दिनांक 26.12.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Nutritional Food Supplement (B-29) 200 M.L मिसब्राण्डेड पाया गया (**MISS- Branded**) पाया गया है। जॉच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज पत्रांक एफएसएसए/2017/71 दिनांक 11.1.2017 की पालना में श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराये गये। श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रकरण की समयावधि पूर्ण हो जाने पर श्रीमान् आयुक्त(खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक(जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज0 जयपुर को अपने पत्रांक/3198/दिनांक 03.10.2017 के द्वारा प्रकरण में समयावधि बढाने हेतु अनुशषा की गई। जिस पर आयुक्त(खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक(जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज0 जयपुर का पत्रांक/एफएसएसए/स.सी/2017/1172 दिनांक 10.11.2017 द्वारा प्रकरण मे समयावधि 31.12.2017 बढाई गई । पत्र की प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ है। श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर कार्यालय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/3582 दिनांक 27.11.2017 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

यह कि उक्त प्रकरण में उपर अंकित अभियुक्तगणों द्वारा मिसब्राण्डेण्ड (Miss Bramded) Under Saction 3(1) (zf)(c)(i) FSS Act 2006 खाद्य पदार्थ Nutritional Food Supplement (B-29) 200 मि.ली. का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(ा) का उल्लघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाये।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिए सम्मन तलब किया गया। अभियुक्त संख्या 1 की ओर से श्री रविकुमार शर्मा एडवोकेट उपस्थित व अभियुक्तगण संख्या 2 ता 6 की और से श्री भानूकुमार सिहंल एडवोकेट उपस्थित।

अभियुक्त संख्या 1 ने अपना पक्ष रखते हुए जबाव पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। अभियुक्त ने अपने जबाव में निवेदन किया है कि आवेदक ने अभियुक्त को महज हैरान व परेशान करने की गरज से यह कार्यवाही की है जो निरस्त होने योग्य है। आवेदक ने जो नमूना दिनांक 16.9.2016 को अभियुक्त संख्या 1 से न्यूट्रिनल फूड सप्लीमेन्ट बी–29 का लेना बताया है वह फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड एक्ट 2006 की धारा 3(जे) में उल्लेखित फूड की परिभाषा में नही आता है बल्कि एक औषधीय उत्पाद है लिहाजा आवेदक को उक्त उत्पाद का नमूना लेने व उसे विश्लेषण करवाने का कोई अधिकार नही है, उक्त उत्पाद फूड सेफ्टि एण्ड स्टेण्डर्ड एक्ट 2006 की कार्य क्षेत्र से बाहर है, आवेदक ने उक्त उत्पाद को मिस ब्राण्ड मानकर यह मुकदमा अभियुक्तगण के विरूद्ध पेश किया जो गलत है, अभियुक्त ने उक्त उत्पाद कॉरोना रेमेडी प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी जयपुर से सील बंद स्थिति में खरीद किया है एंव पैकशुदा उत्पाद सील बंद स्थिति मे ही विक्री कर देता है अभियुक्त संख्या 01 हॉल सैलर है एंव जिसकी भण्डारण की स्थिति भी सही है जो कि फूड सेफ्टि एक्ट में रजिस्टर्ड है। अभियुक्त संख्या 01 के विरूद्ध कोई भी उल्लघन साबित नही होता है इसलिये उसके विरूद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी जाये।

अभियुक्त संख्या 02 लगायत 06 की ओर से अपने जबाव में निवेदन किया है कि आवेदक ने उक्त उत्पाद को मिस ब्राण्ड मानकर यह मुकदमा अभियुक्तगण के विरूद्ध पेश किया है जो गलत है, अभियुक्तगण द्वारा इस बाबत् आवेदक को अपने पत्र द्वारा यह स्पष्ट किया था कि हमने रेग्यूलेशन 2.2.2 (2)(बी) एण्ड 2.2.2(5) (ा) का कन्ट्रावेशन नही किया है, हमारे द्वारा लेवल पर निम्न इबारत लिखी है–CONTAINS PERMITTED NATURAL COLOUR (S) AND ADDED ARTIFICIAL (CHOCOLATE) FALVOUR जब लेबल पर कलर्स के ऐडीशन व फ्लेवर के बाबत् स्पष्ट लिखा हुआ है तो LIST OF INGEREDIENTS मे उसको मैंशन करना आवश्यक नही है अभियुक्तगण ने लिस्ट ऑफ LIST OF INGEREDIENTS में कलर विद Ins No एंव फ्लेवर को लिस्ट ऑफ INGEREDIENTS में रखा है। ऐसी सूरत में उक्त नमूना मिसब्रान्ड माना जाना गलत है एंव विधि विरूद्ध है। अभियुक्तगण ने समस्त जानकारी लेवल पर दी है। यह मुकदमा हमारे खिलाफ गलत संस्थित किया है जिसकी कार्यवाही निरस्त होने योग्य है। अतः जबाव पेश कर निवेदन है कि अभियुक्तगण के खिलाफ की गई कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।

बहस अधिवक्ता अभियुक्तगण सुनी गई। बहस के दौरान वकील अभियुक्त संख्या 01 ने जबाव में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त प्रकरण गलत तथ्यों के आधार पर बनाया गया है। आवेदक ने जो नमूना दिनांक 16.9.2016 को अभियुक्त संख्या 1 से न्यूट्रिनल फूड सप्लीमेन्ट बी–29 का लेना बताया है वह फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड एक्ट 2006 की धारा 3(जे) में उल्लेखित फूड की परिभाषा में नही आता है बल्कि एक औषधीय उत्पाद है लिहाजा आवेदक को उक्त उत्पाद का नमूना लेने व उसे विश्लेषण करवाने का कोई अधिकार नही है, उक्त उत्पाद फूड सेफ्टि एण्ड स्टेण्डर्ड एक्ट 2006 की कार्य क्षेत्र से बाहर है, आवेदक ने उक्त उत्पाद को मिस ब्राण्ड मानकर यह मुकदमा अभियुक्तगण के विरूद्ध पेश किया जो गलत है। अधिवक्ता अभियुक्तगण संख्या 02 लगायत 06 ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त उत्पाद को मिस ब्राण्ड मानकर यह मुकदमा

अभियुक्तगण के विरूद्ध पेश किया है जो गलत है, अभियुक्तगण द्वारा इस बाबत् आवेदक को अपने पत्र द्वारा यह स्पष्ट किया था कि हमने रेग्यूलेशन 2.2.2 (2)(बी) एण्ड 2.2.2(5) (ii) का कन्ट्रावेशन नही किया है, हमारे द्वारा लेबल पर निम्न इबारत लिखी है–CONTAINS PERMITTED NATURAL COLOUR (S) AND ADDED ARTIFICIAL (CHOCOLATE) FALVOUR जब लेबल पर कलर्स के ऐडीशन व फलेवर के बाबत् स्पष्ट लिखा हुआ है तो LIST OF INGEREDIENTS मे उसको मैशन करना आवश्यक नही है अभियुक्तगण ने लिस्ट ऑफ LIST OF INGEREDIENTS में कलर विद Ins No एव फ्लेवर को लिस्ट ऑफ INGEREDIENTS मे रखा है। ऐसी सूरत में उक्त नमूना मिसब्रान्ड माना जाना गलत है एवं विधि विरूद्ध है।

हमारे द्वारा अधिवक्ता अभियुक्तगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली मे संलग्न FOOD SEFTY & STANDERED LABOORATORY KOTA की REPORT NO. 191/FSSL/KOTA/ACT/2016/442 DATE 26-12-2016 का अवलोकन किया गया उक्त रिपोर्ट निम्नानुसार है:–

"Opinion- The sample of "THE SAMPLE OF Nutritional supplement (B-29) bearing code no. and Sr. No. H-1012 of Designated Officer cum Chief Medical Health Officer, Sawai Madhopur is misbranded food under section 3(1)(zf)(c)(I) of th food safety & standards Act 2006"

उक्त रिपोर्ट के मुताबिक Nutritional Food Supplement (B-29) का सेम्पल **SERIAL NO. H-1012[Miss Branded]** पाया गया है।

अभियुक्त द्वारा मिस ब्राण्डेड (Miss Branded) की खाद्य वस्तु निर्माण व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। अभियुक्त द्वारा अंकित कथनों के संबंध में कोई स्वतंत्र साक्ष्य पेश नहीं किया है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब व पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत है कि आवेदक द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध की गई कार्यवाही उचित है। अभियुक्त संख्या 01 की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत की गई अनियमितता के लिए सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अभियुक्त संख्या 01 को 10,000/–(अक्षरे दस हजार रूपये मात्र) की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त संख्या 02 लगायत 06 को पृथक–पृथक रूप से 50,000/–(अक्षरे– पचास हजार रूपये मात्र) की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा वाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक.14.2.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी